बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 235024 पटना, दिनांक 15/06/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नोटिस)-102-46/2013

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **निर्माणाधीन इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-218535 दिनांक-30.01.15 एवं विभागीय पत्रांक-223091 दि0-09.03.15

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से राज्य में निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के संबंध में समय-समय पर प्राप्त निर्देश एवं इंदिरा आवास योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर विभाग द्वारा यह निदेश दिया जाता रहा है कि सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को चिन्हित कराकर यदि किसी मामले में भुगतान किया जाना बाकी हो तो बिना विलंब के भुगतान सुनिश्चित करते हुए तथा जिन मामलों में लाभुकों द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बावजूद भी आवास का निर्माण पूर्ण नहीं कराया जा रहा है उन्हें नोटिस आदि तथा हठी लाभुकों के विरूद्ध सहायता राशि की वापसी हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन आवास पूर्ण कराया जाय । प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा यह भी निदेश दिया गया था कि इसके लिए साप्ताहिक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए और तत्काल विशेष अभियान चलाकर तीन वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित कर आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाय तथा एतद् संबंध पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध करायी जाय । किन्तु खेद के साथ कहना है कि किसी जिला द्वारा इस संबंध में तत्परता पूर्वक कार्रवाई नहीं की जा रही है जबकि प्रत्येक पंचायत में इंदिरा आवास के लिए अलग से कार्मिक बल उपलब्ध हैं और प्रत्येक पंचायत में औसत निर्माणाधीन आवासों की संख्या लगभग 150 होती है ।

दिनांक 11.06.2015 को बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की बैठक में राज्य में निर्माणाधीन इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के प्रति तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण योजना की उद्देश्य की विफलता के साथ-साथ आवास विहीन परिवारों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाने पर गंभीर रूप से चिंता व्यक्त करते हुए इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है कि सभी जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को समिति की भावनाओं से अवगत कराते हुए तीन माह के अंदर विशेष अभियान चलाकर निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय तथा इसकी प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाय । जिन जिलों में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के प्रति सजगता एवं तत्परता नहीं देखी जायेगी उन जिलों के उप विकास आयुक्तों को बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की आगामी बैठक में निर्माणाधीन आवासों के पूर्ण नहीं होने के कारणों के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषय की महत्ता को देखते हुए विभागीय पूर्व दिशा-निर्देश के आलोक में विशेष अभियान चलाकर निर्माणाधीन सभी इंदिरा आवास को तीन माह के अंदर पूर्ण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा एतद् संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय । इस मामले में नियमित रूप से समीक्षा की जाय तथा जो कर्मी इसके प्रति उदासीन पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ।

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत आवासों में से पूर्ण किये गये आवासों का साप्ताहिक प्रतिवेदन

जिला का नाम :-

प्रतिवेदन की तिथि :-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की सं0	पूर्ण किये गये आवासों की सं0			प्रतिवेदित सप्ताह में कितने दोषी लाभुकों के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया गया	अद्यतन तिथि तक दायर किये गये नीलाम पत्र वादों की कुल सं0	अभ्युक्ति
				प्रतिवेदन के पूर्व	प्रतिवेदित सप्ताह में	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 15/6/15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 235024 पटना, दिनांक 15/06/15

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी आयोजित बैठकों में प्राथमिकता के आधार पर इसकी समीक्षा की जाय तथा अपेक्षित दिशा-निर्देश देने की कृपा की जाय ।

15/6/15

सरकार के सचिव